कार्यपालक अभियंता(याँ०) का कार्यालय
सिंचाई याँत्रिक प्रमण्डल, गया।

E-mail ID:- eeimdgaya@gmail.com

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ)- 07 / 2025-26

पत्रांक ..../गया दिनांक ..../.........../2026

सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, गया के अंतर्गत प्रमंडलाधीन योजनाओं के गहन अनुश्रवण एवं नहरों/बराज/अवर प्रमंडलों/प्रशाखाओं के अंतर्गत नहर गेट/निरीक्षण एवं उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेने इत्यादि कार्यों हेतु भाड़ें पर एक या एक से अधिक वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) (बोलेरो/स्कॉर्पियों/नन ए0सी0 /ए0सी0) के लिए निम्नाकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसे मुहरबंद लिफॉफे में दिनांक 28.03.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, गया कार्यालय मे जमा किया जायेगा और उसी दिन 03:30 बजे अपराह्न में खोला जाएगा। कोटेशनदाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेंगे।

कार्य की विवरणी निम्न प्रकार है:–

ग्रुप सं0	कार्यालय का नाम	वाहन की संख्या	उद्धृत दर (प्रतिमाह में)	अभ्युक्ति
01.	सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, गया।	03		

शर्ते निम्नवत् है:–

1 भाड़े पर वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) विभागीय निदेशानुसार 01.04.2026 से 31.03.2027 अवधि तक के लिए लिया जायेगा। अवधि विस्तार की स्थिति में एकराररित दर पर हीं वाहन को आगे के लिए रखा जाऐगा। व्यावसायिक निबंधन अनिवार्य है।

2 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) अच्छे हालत में होना चाहिए।

3 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा हीं किया जायेगा।

4 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) के भुगतान पर नियमानुसार सभी प्रकार के करों अर्थात जी0एस0टी0 आदि का भुगतान वाहन मालिक/वाहन आपुर्तिकर्ता को स्वयं करना होगा एवं अन्य शुल्क अदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। विभाग द्वारा किसी प्रकार का कर का भुगतान नहीं किया जायेगा।

5 वाहन का कागजात टैक्स, Fastag, बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैध निबंधन पत्र, बीमा रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा एवं वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाइसेंस रखना होगा। वैध GST एवं PAN CARD निबंधन होना अनिवार्य है।

6 वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।

7 वाहन के उपयोग के विरूद्ध किराया प्रतिदिन ईंधन रहित देय होगा।

8 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का (ईधन रहित एवं चालक सहित) प्रतिमाह के न्यूनतम दर के कोटेशन वाहनदाता के साथ एकरारनामा किया जाएगा और उन्हे वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नही रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढायी जा सकती है।

9 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लीटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।

10 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित)का उपयोग वाहन मालिक /वाहन आपूर्तिकर्ता निजि अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेगें।

11 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्य होगा कि वे तुरन्त दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़ा का भुगतान दोगुने दर से कटैती कर ली जायेगी। इच्छुक वाहन मालिक/फर्म का उक्त सभी शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 05 से संबंधित कागजात कोटेशन के साथ समर्पित करेंगे।

12 एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशन वाहनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा। शपथ पत्र एवं वाछिंत कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जाएगा।

13 कोटेशनदाता द्वारा प्रत्येक वाहन का दर (ईंधन रहित एवं चालक सहित) प्रतिमाह (सभी करो के साथ) किसी भी परिस्थिति में संबंधित जिला प्रशासन गया के द्वारा स्वीकृत दर से अधिक नहीं होगा।

14 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक के जबावदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधि आवश्यक प्रविष्टि करेंगें जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।

15 जिला प्रशासन गया के द्वारा बोलेरों/स्कार्पियों के निविदत्त दर से अधिक उद्वत किया गया दर मान्य नहीं होगा।

16 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) माह 31 मार्च 2027 तक भाड़े पर रखने के लिए एकरारनामा किया जाएगा तथा एकरारित अवधि के दौरान वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी निजी कार्य में नहीं किया जाएगा।

17 कोई अन्य जानकारी कार्यालय में सम्पर्क कर अथवा कार्यालय सूचना पटट् के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

18 उपरोक्त ग्रुप संख्या 01, 02 एवं 03 के लिए कोटेशनदाता द्वारा अलग–अलग लिफाफा में वाहन हेतु दर उद्वत करना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन

ह0/–

(अश्विनी कुमार)

I.D NO- M0818

कार्यपालक अभियन्ता (याँ0)

सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, गया।

पत्रांक 257 /गया दिनांक 14/03/2026

प्रतिलिपिः– सुचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को एक प्रति एवं Soft Copy के साथ विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

14/03/26

(अश्विनी कुमार)

I.D NO- M0818

कार्यपालक अभियन्ता (याँ0)

सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, गया।

14/03/26